13/11/14

समाहरणालय, मधेपुरा
(गोपनीय शाखा)

दिनांक 11-11-2014 को, अफीम की अवैध खेती पर नियंत्रण रखने, पहचान दृष्टिकरण करने हेतु कार्य योजना के अनुरूप कार्रवाई करने संबंधी श्री आलोक राज, भा0पु0से0, विशेष सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित विडियो कॉन्फ्रेसिंग की कार्यवाही।

दिनांक 11-11-2014 को, अफीम की अवैध खेती पर नियंत्रण रखने, पहचान दृष्टिकरण करने हेतु कार्य योजना के अनुरूप कार्रवाई करने संबंधी श्री आलोक राज, भा0पु0से0, विशेष सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित विडियो कॉन्फ्रेसिंग में बताया गया कि अब तक अफीम की खेती से संबंधित प्रतिवेदित कांडों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि अफीम की खेती पहाड़ी क्षेत्रों, नक्सल क्षेत्रों एवं दियारा क्षेत्रों में होती है। खेती के लिए निजी जमीन, सरकारी जमीन एवं वन भूमि का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर रोक लगाने एवं लोगों में जागरूकता लाने हेतु निम्नांकित निर्देश दिए गए :-

1- विगत पांच वर्षो में अफीम की खेती से संबंधित प्रतिवेदित कांडों में दर्ज स्थल का भौतिक सत्यापन किया जाना, ताकि उसी स्थल पर दुबारा अफीम की खेती न हो सके।

2- पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू करना। स्थानीय मीडिया को भी सेनसेटाईज्ड करना। इसके लिए 2000 से 3000 पोस्टर /पम्पलेट छपवाकर जिले को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे सभी थानों के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों यथा- बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, सदर अस्पताल, सरकारी कार्यालय, पंचायत भवन इत्यादि पर चिपकाये जाने का निदेश दिया गया।

3- भू-धारियों को अफीम की खेती के दुष्परिणाम से अवगत कराया जाए। इसके लिए गांव में लाऊडस्पीकर की सहायता से माईकिंग कराया जाए। एन0डी0पी0एस0 की धारा-46 के तहत् यदि अफीम की खेती किसी निजी जमीन पर हो रही है, तो उसके लिए जमीन-मालिक का यह कर्त्तव्य है कि उसकी सूचना पुलिस पदाधिकारी को दी जाए अन्यथा पकड़े जाने पर वह दोषी होगा, जिसके लिए कारावास एवं जुर्माना दोनों का प्रावधान है।

4- सरकारी कर्मियों विशेषकर प्रखंड तथा पंचायत स्तर के कर्मियों यथा- प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, चौकीदार, दफादार आदि के बीच यह प्रचारित किया जाए कि एन0डी0पी0एस0 की धारा-47 के तहत् यदि उनके कार्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति अफीम की खेती करता है और

उसकी सूचना उनके द्वारा पुलिस पदाधिकारी को नहीं दी जाती है, तो वैसे सरकारी कर्मियों के विरूद्ध यह एक आपराधिक मामला बनेगा।

5- पंचायत /प्रखंड /अनुमण्डल /जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों को यह निदेशित किया जाए कि वे निरीक्षण अथवा भ्रमण कार्यक्रम के तहत् कहीं जाते हैं, तो अफीम की खेती से संबंधित मामलों की जांच-पड़ताल अवश्य करें।

6- अफीम की खेती से संबंधित मामलों के उजागर होने पर 48 घंटों के अन्दर प्रपत्र-6 में वांछित विवरणी एन0सी0पी0, पटना तथा नई दिल्ली को अवश्य भेजना है।

7- अफीम की खेती पर नियंत्रण से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यालय स्तर पर आयोजित किया गया था, जिसमें प्रत्येक जिले से पांच पदाधिकारियों यथा- अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष स्तर के पदाधिकारियों को दिया जा चुका है। इन्हें प्रपत्र-6 कैसे भरा जाए, जप्ती सूची कैसे बनाया जाए, एन0डी0पी0एस0 एक्ट इत्यादि मामलों की विशिष्ट जानकारी दी गयी थी। जिले के सभी पदाधिकारियों को, उक्त प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित किया जाए।

8- अफीम की खेती से जुड़े अपराधियों / आदतन आपराधियों के विरूद्ध फिनानशियल इनवेस्टिगेशन अर्थात उनके पास कितनी सम्पत्ति है, सम्पत्ति प्राप्त करने के स्त्रोत क्या हैं तथा उपलब्ध स्त्रोत के आधार पर ही सम्पत्ति धारित की गयी है अथवा उससे ज्यादा है इत्यादि की जांच की जाए तथा आर्थिक अपराध यूनिट को भी प्रतिवेदित किया जाए। ऐसे अपराधियों का उल्लेख सी0डी0 पार्ट-2 क्राईम डोजियर इत्यादि जिले के महत्वपूर्ण रिकार्ड में अवश्य दर्ज किया जाए।

9- जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश से मिलकर ऐसे अपराधियों के विरूद्ध स्पीडी ट्रायल चलाने हेतु अनुरोध करेंगे। कुछ अपराधियों के विरूद्ध त्वरित गति से इनवेस्टिगेशन पूरा कर चार्जशीट दायर कराया जाए तथा स्पीडी ट्रायल के तहत् सजा दिलायी जाए, ताकि अन्य अपराधियों में भय का संचार हो सके।

10- अफीम तैयार करने हेतु अफीम के पौधे में लगे फल में चीरा लगाकर उनका रस तैयार किया जाता है (तार के वृक्ष से तारी निकालने के समान)। इस कार्य में कुछ गिने-चुने लोग ही एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित की जाए तथा उनके ऊपर विशेष निगाह रखी जाए।

11- अफीम की खेती की शुरूआत रब्बी मौसम में ही होती है। आज-कल में इसकी बुआई प्रारंभ हो जाएगी तथा मार्च-अप्रैल महिने में यह तैयार होगा। अतएव अभी से ही आसूचना संकलित की जाए तथा सूचनादाता को पुरस्कार हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली राशि का सदुपयोग किया जाए।

12- आज-कल नार्को टेररिज्म की अवधारना सामने आयी है, जिसमें अफीम की खेती कौन व्यक्ति कर रहा है, इसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन करवा रहा है। अतः ऐसे स्त्रोत की हरसंभव पहचान की जाए तथा उन्हें सजा दिलायी जाए।

13- इण्डो-नेपाल सीमा क्षेत्र में अफीम /केनेवीस की अवैध खेती तथा अफीम का अवैध रूप से ट्रांसपोर्टेशन होता है। अतः एन0एच0 पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए।

14- नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, के वेबसाईट http://narcoticsindia.nic.in पर नार्कोटिक्स से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अधिनियमों /कानूनों इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

15- इमिग्रेशन वीजा फोरेनर्स ट्रैकिंग (IVFT) पर ध्यान दिया जाए, ताकि बाहर से आने वाले विदेशियों द्वारा अफीम के अवैध रूप से हस्तानांतरण, लेन-देन इत्यादि पर रोक लगाया जा सके।

16- जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा की अध्यक्षता में एक समिति गठन करने का निदेश दिया गया है। इस समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे :-

1. पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा - अध्यक्ष
2. अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा - सदस्य
3. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा - सदस्य
4. समूह पदाधिकारी, विशेष शाखा, मधेपुरा - सदस्य
5. अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा - सदस्य सचिव

इसके अतिरिक्त जिला कृषि पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को भी आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में बुलाया जा सकता है, क्योंकि अफीम की खेती की पहचान एवं कृषि योग्य /गैर कृषि योग्य जमीन के प्रत्येक हिस्से का सर्वेक्षण में उक्त पदाधिकारियों के प्रखंड /पंचायत स्तर के कर्मियों द्वारा किया जाता है। इनके माध्यम से प्रखंड कृषि पदाधिकारी, ए0टी0एम0/ बी0टी0एम0 तथा प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ताकि वे अपने स्तर से ग्रामीण क्षेत्रों में अफीम की खेती का पता लगा सकें।

ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 3015 /गो0, मधेपुरा, दिनांक 12.11.14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि वर्णित समिति की बैठक अपनी सुविधानुसार आयोजित की जाए। साथ ही कार्यवाही की प्रति सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं सभी थानाध्यक्ष को अपने स्तर से प्रेषित करने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /समूह पदाधिकारी, विशेष शाखा, मधेपुरा /अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सभी पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने विभाग के अधीनस्थ पदाधिकारियों को कार्यवाही की प्रति प्रेषित करने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी /सभी अंचलाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।